प्रेस नोट दिनांक 13.11.2025

थाना व जनपद चंदौली

🔷 **थाना चन्दौली पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 03 अभियुक्तों अवैध शराब को किया गया गिरफ्तार**

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली, आदित्य लांग्हे द्वारा शराब तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व अवैध शराब की तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर, अनन्त चन्द्रशेखर (आई.पी.एस.) व क्षेत्राधिकारी सदर,देवेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक चंदौली,संजय सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 13.11.2025 को कोतवाली चन्दौली पुलिस को चेकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि तीन व्यक्ति जो काले रंग के पिठ्ठू बैग मे अवैध अग्रेजी शराब लेकर बिहार राज्य ट्रेन के रास्ते जायेगे इस समय मझवार रेलवे स्टेशन के पूर्वी गेट के अन्दर खडे है ट्रेन का इन्तजार कर रहे है। उक्त सूचना के आधार पर थाना चंदौली पुलिस टीम मझवार रेलवे स्टेशन के पूर्वी रास्ते से करीब 50 मीटर अन्दर पहुंचा जहा रेलवे के पडे सामानो के ऊपर तीन व्यक्ति पिठ्ठू बैग लादे बैठे थे, जिनके पास पहुंचकर नाम पता पूछते हुए बैग मे लिये हुए सामान के सम्बन्ध मे जानकारी किया गया तो पहले सनी पुत्र अयोध्या निवासी ग्राम करपी जिला अरवल बिहार हालपता पेट्रोल पम्प (इण्डियन आयल) कुदरा उम्र करीब 24 वर्ष बताया जिसके पास कुल 41 पीस Doble blue अग्रेजी शराब की प्रत्येक 180ML कुल 7.38 लीटर बरामद हुई दूसरे व्यक्ति गौरव कुमार पुत्र तेतर निवासी रफीगंज थाना रफीगंज जिला औरंगाबाद बिहार उम्र 21 वर्ष बताया तथा पिठ्ठू बैग खोलकर चेक किया गया तो कुल 20 बोतल IB की प्रत्येक की मात्रा 750 ML कुल मात्रा 15 लीटर बरामद हुई तथा तीसरे व्यक्ति राजू कुमार पुत्र चन्द्रदीप निवासी रफीगंज(अब्दुलपुर) थाना रफीगंज औरंगाबाद बिहार उम्र करीब 26 वर्ष बताया तथा लिये हुए पिठ्ठू बैग को खोलकर चेक किया गया तो रायल स्टाग की कुल 12 बोतल प्रत्येक की मात्रा 750 ML कुल मात्रा 9 लीटर तथा 1 बोतल सिग्नेचर मात्रा 750 ML बरामद हुई। तीनों अभियुक्तों को उनके द्वारा कारित अपराध का बोध अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधि0 में अभियोग पंजीकृत कर हिरासत पुलिस मे लेकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1.सनी पुत्र अयोध्या निवासी ग्राम करपी जिला अरवल बिहार हालपता पेट्रोल पम्प (इण्डियन आयल) कुदरा उम्र करीब 24 वर्ष

2.गोरव कुमार पुत्र तेतर निवासी रफीगंज थाना रफीगंज जिला औरंगाबाद बिहार उम्र 21 वर्ष

3.राजू कुमार निवासी चन्द्रदीप निवासी रफीगंज(अब्दुलपुर) थाना रफीगंज औरंगाबाद बिहार उम्र करीब 26 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0-325/2025 धारा-60 आबकारी अधि0 थाना व जनपद चंदौली

बरामदगी का विवरण-
कुल 32 लीटर अवैध शराब

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-
1.प्र0नि0 संजय कुमार सिह थाना व जिला चन्दौली
2.उ0नि0 रावेन्द्र सिंह थाना व जिला चन्दौली
3.का0 नीलकमल थाना व जिला चन्दौली

थाना कंदवा जनपद चंदौली

🔷 **थाना कंदवा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 पिकअप वाहन में क्रूरतापूर्वक लादकर ले जा रहे कुल 10 राशि गोवंशों को बरामद कर 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार**

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली, आदित्य लांग्हे द्वारा गौ-तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व गोवंश की तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर, अनन्त चन्द्रशेखर (आई.पी.एस.) व क्षेत्राधिकारी सदर,देवेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष कंदवा, प्रियंका सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनाँक-13.11.2025 को थाना कंदवा पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग की जा रही थी कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि जमानियां के तरफ से ग्राम सुढ़ना के रास्ते एक पिकअप वाहन में गोवंशो को लादकर वध हेतु बिहार ले जाने वाले है। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा ग्राम सुढ़ना तिराहे पर मेन रोड पर पहुँचकर आने वाले संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चेकिंग करने लगे कि कुछ समय पश्चात 01 वाहन बहुत ही तेज गति से आता दिखाई दिया जिसे पुलिस टीम द्वारा दूर से रुकने का इशारा किया गया लेकिन वाहन चालक द्वारा जान बुझकर और तेज गति से चलाकर जान से मारने की नीयत से पुलिस बल के तरफ गाड़ी लेकर बढ़ा लेकिन पुलिस टीम द्वारा आपनी जान बचाते हुए इधर उधर हट बढ़ गये। तत्पश्चात पुलिस टीम द्वारा सावधानी पूर्वक दौड़ाकर पकड़ने का प्रयास किया गया तो वाहन मै बैठे तीन व्यक्ति उतरकर भागने लगे मौजूद पुलिस टीम की मदद से पीछा किया गया तो एक व्यक्ति पकड़ा गया अन्य 02 व्यक्ति खेत के रास्ते भाग गये। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान बिसमिल्ला पुत्र जमालुद्दीन निवासी ग्राम मनिया थाना भावर कोल जिला गाजीपुर उम्र करीब 20 वर्ष के रुप में हुई। उक्त पिकअप वाहन नं0 यू पिकअप नं0 यू0पी0 61 बी.टी 4550 को चेक किया गया तो पिकअप में लदे 10 राशि गोवंशों को बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा मु0अ0सं0 105/25 धारा धारा- 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम व 109(1)/ 325 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरणः-

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मै अपने साथी के साथ मिलकर उ0प्र0 से गोवंशो को अलग-अलग जगह से इकट्ठा कर वाहन में लादकर बिहार ले जाकर उचे दामों पर बेचकर लाभ अर्जित करते है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.बिसमिल्ला पुत्र जमालुद्दीन निवासी ग्राम मनिया थाना भावर कोल जिला गाजीपुर उम्र करीब 20 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0सं0 105/25 धारा धारा- 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम व 109(1)/ 325 बीएनएस थाना कंदवा जनपद चंदौली

बरामदगी का विवरण-

09 राशि गोवंश जिन्दा व 1 राशि गोवंश मृत (कुल-10 ऱाशि गोवंश)

गिरफ्तारी व बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

1-थानाध्यक्ष प्रिंयका सिंह थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

2-उ0नि0 दिनेश कुमार मिश्रा थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

3-उ0नि0 उमेश कुमार थान कन्दवा जनपद चन्दौली

4-का0 सविनय कुमार थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

5-का0 धर्मराज थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

6-हे0का0 गिरजाशंकर सिंह थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

7-म0का0 रुबी सिंह थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

यातायात पुलिस चंदौली

🔸 **यातायात जागरुकता माह नवंबर के अवसर पर यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा चलाया विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान कुल-572 वाहनों का चालान करते हुए 08,00,700/-₹ का जुर्माना अधिरोपित किया।**

🔸 **प्रभारी निरीक्षक यातायात द्वारा सैयदराजा में चौपाल लगाकर आमजनमानस/ऑटो चालक को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया**

🔸 **यातायात व जनपदीय पुलिस द्वारा अंधेरे के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु 42 ट्रैक्टर-ट्राली /व्यावसायिक वाहनों के आगे-पीछे लगाया गया रिफ्लेक्टर टेप।**

🔸 **यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के क्रम में ब्लैक स्पॉट (दुर्घटना संभावित स्थानों) पर रिफ्लेक्टर एवं चेतावनी बोर्ड लगाए गए।**

चन्दौली- श्री पीयूष मोर्डिया, अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी, श्री वैभव कृष्ण, पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कृष्णमुरारी शर्मा, क्षेत्राधिकारी यातायात के पर्यवेक्षण में सत्य प्रकाश यादव, प्रभारी निरीक्षक यातायात मय यातायात टीम व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा यातायात जागरुकता माह नवंबर के अवसर पर प्रभारी निरीक्षक यातायात द्वारा सैयदराजा में चौपाल लगाकर आमजनमानस/ऑटो चालकों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया तथा जनपद में विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी, ब्लैक फ़िल्म लगे वाहन, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने वाले वाहन व यातायात नियमों का उल्ल्घन करने वाले, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने तथा मानक के अनुरूप नम्बर प्लेट न लगाये जाने पर कुल-572 वाहनों का चालान करते हुए 08,00,700/-₹ का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इसी प्रकार प्रमुख चौराहों पर यातायात अपराधों के विरूद्ध विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों के पालन के लिये जागरुक किया गया।

यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के क्रम में ब्लैक स्पॉट (दुर्घटना संभावित स्थानों) पर रिफ्लेक्टर एवं चेतावनी बोर्ड लगाए गए। इस कार्यवाही के अंतर्गत जनपद के मां पार्वती इंटरप्राइजेज, सर्विस रोड व सनबीम स्कूल के पास वाहन चालकों को सतर्क करने हेतु रिफ्लेक्टर पट्टियां, कार्य प्रगति पर है तथा "नो-पार्किंग","भारी वाहन प्रवेश वर्जित", "गति सीमा का पालन करें", "धीरे चलें–सुरक्षित चलें" जैसे संदेश वाले बोर्ड लगाए गए हैं।
साथ ही सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत यातायात पुलिस टीम द्वारा कुल-42 ट्रैक्टर-ट्राली /व्यावसायिक वाहनों के आगे एवं पीछे रिफ्लेक्टर लगाए गए, ताकि रात्रि के समय इनकी दृश्यता बनी रहे एवं दुर्घटनाओं की संभावना को रोका जा सके।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु पुलिस अधीक्षक चंदौली आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात ,कृष्णमुरारी शर्मा के निकट पर्यवेक्षण तथा यातायात प्रभारी, सत्य प्रकाश यादव व सभी यातायात

अधि0/कर्मचारीगण के द्वारा बढ़ती हुयी सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में जनपद के प्रमुख चौराहों तिराहों व सार्वजनिक मार्गो, पर लगातार भ्रमणशील रहकर यातायात पुलिस चंदौली द्वारा यातायात नियमों के पालन के लिये सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम के तहत रोड़ पर लोगो को जागरुक किया गया। साथ ही साथ आमजन व वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों के पालन करने हेतु जैसे- नशे की हालत में वाहन न चलाने, निर्धारित मानक से अधिक सवारी न बैठाने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने अवयस्क को वाहन न चलाने देने सीट बेल्ट का प्रयोग करने व दो पहिया वाहनों पर हेलमेट का प्रयोग करने वाहनों को ओवरलोड न चलाने आदि के संबन्ध में जागरूक किया गया व सभी को अवगत कराया गया कि "सीटबेल्ट" का प्रयोग व दो पहिया वाहन चलाते समय "हेलमेट" का प्रयोग अवश्य करें।

इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित यातायात के नियमों के उल्लघन करने पर चालान की कार्रवाई की गयी है-

क्रम संख्या यातायात नियम उल्लघन का प्रकार चालान की संख्या-

1.बिना हेलमेट-347
2.नो पार्किंग-42
3.तीन सवारी-25
4.सीट बेल्ट-12
5.बिना वैलिड इनस्योरेंस के वाहन चलाना-13
6.यातायात नियमों का उल्लंघन-22
7.गलत दिशा में वाहन चलाना-17
8.गलत नंबर प्लेट-27
9.मागने पर ड्राइविंग लाइसेन्स न दिखा पाना-23
10.वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करना-05
11.मोडिफाइड साइलेन्सर-01
12.क्षमता से अधिक सवारी बैठाना-12
13.मांगने पर फिटनेस सर्टिफिकेट न दिखा पाना-02
14.बिना वैलिड फिटनेस के वाहन चलाना-12
15.रिफ्लेक्टर टेप-02
16.जातिसूचक नम्बर प्लेट-01
17.काली फिल्म का प्रयोग करने वाले वाहन-01
18.नाबालिग द्वारा वाहन चलाना-01
19.सीज-04
20.अन्य-03

यातायात नियमों के उलंघन में दिनांक 13.11.2025 को यातायात माह नवंबर के अवसर पर विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान की गयी कार्यवाही का विवरणः-

(1)संपूर्ण चालानः-572

(2)संपूर्ण कारित राजस्वः-08,00,700-रूपयें। (आठ लाख सात सौ रुपए)